दिनाँक	**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर** **मुन्ना उर्फ मुन्नवर खां व अन्य बनाम शमनूर खां व अन्य** **दीवानी वाद संख्या 98/2012**	अनुपालना टिप्पणी
25–04–2024	अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 14 व 15 सी.पी.सी. वांछित दस्तावेज पेश होने पर नोट प्रेस किया गया, जो दबाव रहित होने से खारिज किया जाता है। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 32 नियम 12 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। वादी नफीस मोहम्मद की जन्म तिथि 26.06.1999 होना दर्शाया है एवं यह वर्णित किया है कि वर्तमान में उसकी आयु 24 वर्ष हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उसकी प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शरीफन को रूखस्त किया जावे और नफीस मोहम्मद को स्वयं पैरवी करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में नफीस मोहम्मद तथा शरीफन के शपथ पत्र पेश किये गये। चूंकि नफीस मोहम्मद की आयु जन्म तिथि 26.06.1999 के अनुसार 24 वर्ष की हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उसके नाम के सम्मुख व्यस्क अंकित किया जावे और उसकी प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शरीफन को रूखस्त किया जाता है। नफीस मोहम्मद स्वयं के स्तर पर प्रकरण की पैरवी करे। वादी की ओर से आदेश 32 नियम 12 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सं. 7 सुरेश पूर्व में नाबालिग था तथा उसका संरक्षक उसका भाई भागचंद था। दौराने वाद सुरेश पुत्र भंवरलाल बालिग हो गया है। ऐसी स्थिति में उसे स्वयं की पैरवी करने की अनुमति प्रदान की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बंध में कोई सारभूत आपत्ति व्यक्ति नहीं की गई है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वादी मुन्ना उर्फ मुन्नवर द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसके खण्डन में किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र आदि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 7 सुरेश पुत्र भंवरलाल के नाम के सम्मुख व्यस्क अंकित किया जावे और उसे पृथक से स्वयं की पैरवी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांकित 16.03.2023 एवं 24.08.2023 पर बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित दस्तावेजात के सम्बंध में यह कथन किया कि उक्त दस्तावेज प्रकरण के युक्तियुक्त निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज है। उभय पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना शेष है। प्रकरण प्रारम्भिक स्तर पर है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र पर संलग्न पोस्टल रसीद, नोटिस की प्रति तथा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदि की प्रतियों को रिकॉर्ड पर	

	लिया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से जवाब में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आपत्ति व्यक्त की। चूंकि प्रकरण प्रारम्भिक स्तर पर है। उभय पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना शेष है। संलग्न दस्तावेजात विवादित सम्पत्ति से सम्बंधित दृष्टिगत होते है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 व 3 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांकिकत 16.03.23 को पेश किया, जिस पर भी बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि असल इकरारनामा व मुख्तयारनामा दिनांकित 08.05.2008 पूर्व में नहीं मिल पाने के कारण प्रस्तुत नहीं किये जे सके। उक्त दस्तावेज प्रकरण के युक्तियुक्त निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज है। अतः उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से इसका विरोध किया गया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेज प्रकरण के युक्तियुक्त निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रतीत होते हैं। उभय पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रारम्भिक स्तर पर है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जे की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक एवं साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 02.05.2024 को पेश हो। **(अमर वर्मा)** **अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3 ,** **अजमेर**	